प्रकरण संख्या :– 32/25
उनवान :– नानूराम बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :– 15.04.2026

प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम " भागचंद पिता भंवरिया " के स्थान पर " नानुराम पिता भंवरलाल " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम " भागचंद पिता भंवरिया " के स्थान पर " नानुराम पिता भंवरलाल " दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारीं, मनोहरथाना

प्रकरण संख्या :– 32 / 25
उनवान :– नानूराम बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :– 15.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः–	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–	32 / 25
दायर दिनाँक :–	05.12.2025
निर्णय दिनाँकः–	15.04.2026

उनवान :– नानूराम वगै0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार
2 श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी नानुराम पुत्र भंवरलाल जाति तंवर निवासी पंचपीपली तह0 मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 05.12.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचपीपली पटवार हल्का कालूखेडी कलां तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 93 (पुराना 70) की कुल किता 20 की कुल आराजी 3.7149 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम त्रुटि वश गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नानुराम पिता भंवरलाल है। जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थीया ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)